भारत और रूस ने महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर साइन किए

अमेरिका व पाक की बढ़ती निकटता के मौजूदा दौर में यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अप्रैल। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों के बीच, नई दिल्ली और मॉस्को "रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट" (आरईएलओएस) समझौते की पुष्टि करके एक कदम और करीब आ गए हैं। यह समझौता दोनों देशों को संघर्ष की स्थिति में भी एक-दूसरे के क्षेत्र में सैनिक, युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात करने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझौता भारत को व्लादिवोस्तोक से मरमांस्क तक उत्तरी समुद्री मार्ग पर स्थित बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करता है, जिनका उपयोग रूस के यामल प्रायद्वीप से एलएनजी आयात के लिए किया जा सकता है। यह इसलिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद खाड़ी देशों से आपूर्ति बाधित होने के बाद भारत अपने ऊर्जा आयात में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है।

- रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमैंट के तहत दोनों देशों में एक-दूसरे के सैनिक, युद्धपोत व फाइटर प्लेन तैनात रह सकते हैं। फिलहाल समझौता 5 साल के लिए है, इसे बाद में आगे बढ़ाया जाएगा।
- जाने-माने अमेरिकन वकील गॉर्डन सी.चांग ने कहा कि वॉशिंगटन का पाकिस्तान के प्रति बढ़ता झुकाव भारत को रूस की तरफ धकेल रहा है।

इस समझौते का ब्यौरा 18 अप्रैल को रूस के आधिकारिक कानूनी सूचना पोर्टल पर प्रकाशित होने के बाद सामने आया। समझौते के अनुसार, दोनों देश प्रारंभिक पांच वर्षों के लिए एक-दूसरे के क्षेत्र में 3000 सैनिक, पांच युद्धपोत और 10 सैन्य विमान रख सकते हैं, और आपसी सहमति से यह अवधि स्वत: बढ़ती जाएगी। अमेरिकी वकील गॉर्डन सी चांग ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर वॉशिंगटन का बढ़ता झुकाव भारत को रूस के करीब धकेल सकता है, जिसके ठोस रणनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं।

आरईएलओएस समझौता सैन्य टुकड़ियों, युद्धपोतों और विमानों की पारस्परिक आवाजाही और अस्थायी तैनाती के लिए प्रक्रियाएं तय करता है। इसमें संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शामिल है। यह समझौता आर्कटिक और प्रशांत महासागर में लंबी दूरी की नौसैनिक तैनाती और अभ्यासों के लिए नई दिल्ली की परिचालन पहुँच को बढ़ाता है। रूस के लिए, यह समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। रूस एकमात्र पी-5 देश है, जिसकी अभी तक हिंद महासागर क्षेत्र में उपस्थिति नहीं है।

आरईएलओएस समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन इसकी पुष्टि ऐसे समय में हुई, जब भारत-अमेरिका संबंधों में अमेरिकी टैरिफ और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को रोकने के लिए प्रतिबंधों के इस्तेमाल सहित, कई महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव आए थे।

राहुल गांधी नागरिकता केस सुनवाई से जस्टिस विद्यार्थी हटे

लखनऊ, 20 अप्रैल। राहुल गांधी के कथित दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को इस प्रकरण की सुनवाई से अलग कर लिया है। जस्टिस विद्यार्थी ने मामले के रिकॉर्ड को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया हैद्ध ताकि नए जज को केस आवंटित किया जा सके। अपने आदेश में जस्टिस विद्यार्थी ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी के खिलाफ गत 17 अप्रैल को खुली अदालत में फैसला लिखाने से पहले उन्हें केस के प्रस्तावित अभियुक्त राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुनना चाहिए था।

- जस्टिस विद्यार्थी ने कहा, उन्हें आदेश देने से पहले राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुनना चाहिए था। इस गलती के कारण वे सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं।

'मेरी शपथ संविधान के प्रति है, मैं सुनवाई से नहीं हटूगी'

केजरीवाल की सुनवाई से हटने का आग्रह करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आदेश दिया

नई दिल्ली, 20 अप्रैल। आबकारी नीति मामले में आज हाईकोर्ट अरविंदकेजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर अपना फैसला सुनाया। केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इस दौरान केजरीवाल ने अपना जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने की मांग की। सुनवाई को दौरान केजरीवाल ने कहा, मैडम अगर मेरा जवाब रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो यह न्याय के प्रति लापरवाही होगी।

अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा यदि किसी न्यायाधीश का फैसला ऊपरी अदालत द्वारा बदला जाता है तो किसी भी प्रतिवादी को यह कहने का हक नहीं है कि अमुख जज फैसला करने योग्य नहीं हैं। जज की क्षमताओं पर फैसला इसकी उच्च अदालत करती है न कि प्रतिवादी।

अदालत में अखिल भारतीय देवता परिषद के कार्यक्रमों में न्यायमूर्ति के शामिल होने पर कहा कि वह महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, जिसमें उन्होंने जूनियर वकीलों और अन्य बार के सदस्यों को संबोधित किया था। केवल अरविंद केजरीवाल की आईडियोलॉजी से सहमति न रखने के चलते यह आरोप गलत है।

- कोर्ट ने कहा कि जज का फैसला बदलने का हक ऊपरी अदालत को होता है प्रतिवादी को नहीं।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, मैं इन आवेदनों को खारिज कर रही हूं क्योंकि मेरी शपथ संविधान के प्रति है और संविधान हमें बताता है कि निर्णय दबाव में नहीं लिए जाते। मैं इस मामले की सुनवाई से नहीं हटूंगी। अदालत में मुख्य ममले से जुड़े प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। प्रतिवादियों को शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। अदालत में 29 और 30 अप्रैल को मामले में बहस के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा, पूरे देश में जब भी फैसला सुरक्षित हो जाता है तो ऐसे में कोई भी एडिशनल एफिडेविट रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता लेकिन अदालत ने फिर भी केजरीवाल के एडिशनल एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लिया है। वहीं,न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा,सॉलिसिटर जनरल सही कह रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है वह सभी लोगों पर बराबर है किसी व्यक्ति विशेष के लिए बदली नहीं जा सकती। हालांकि, अदालत ने चुकि केजरीवाल स्वयं अपना पक्ष रख रहे थे ऐसे में उन्हें थोड़ी राहत देते हुए एडिशनल एफिडेविट को रिकॉर्ड पर ले लिया।

उत्तरी जापान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गईं। जेएमए के अनुसार, लगभग 40 मिनट बाद, 80 सेंटीमीटर (31 इंच) ऊंची सुनामी की लहर इवाते के कुजी बंदरगाह से टकराई।

"तटीय क्षेत्रों और नदी किनारे के इलाकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों, जैसे ऊँची जगह या इवेक्यूएशन इमारत में चले जाएँ," चेतावनी जारी करते हुए कहा गया कि सुनामी की लहरों से नुकसान होने की आशंका है। चेतावनी में कहा है कि "सुनामी की लहरें बार-बार आने की आशंका है। चेतावनी हटने तक सुरक्षित स्थान न छोड़ें।" राष्ट्रीय प्रसारण एनएचके के फुटेज में इवाते के कई बंदरगाहों के आसपास तत्काल कोई स्पष्ट नुकसान दिखाई नहीं दिया। जेएमए के एक अधिकारी ने टेलीविजन पर प्रसारित प्रेस ब्रीफिंग में चेतावनी दी कि क्षेत्र में और भूकंप आ सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि एक संकट प्रबंधन टीम का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पत्रकारों से कहा, "जिन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की गई है, वहां रहने वाले लोग कृपया ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार हताहतों या संपत्ति के नुकसान की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है।

ऐतिहासिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आ गया। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" विधेयक केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत की आधी आबादी का पूरा हक है। महिलाओं के इस हक को कांग्रेस सहित, सभी विपक्षी दलों ने दबाने का काम किया है।

राहुल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोड़ आ गया, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ कूदे ही नहीं, बल्कि "गिर भी रहे थे और भारत के खिलाफ काम भी कर रहे थे।"

सच कहें तो, चुनावी प्रचार का अनुवाद आसान काम नहीं होता, खासकर तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहाँ राजनीतिक संदेश को अक्षरश: सटीक बनाया जाता है।

लेकिन यह कोई मामूली चूक नहीं थी। यह प्रचार में हुई एक गंभीर गड़बड़ी थी। ऐसे चुनाव में, जहाँ गठबंधन मजबूत है और संदेश और भी सटीक हैं, यह अनुवाद याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे कड़ा विरोध प्रतिद्वंद्वियों से नहीं, बल्कि अपने ही खेमे के भीतर से आता है। और यह, कि सिर्फ यह चीज मायने नहीं रखती कि आप क्या कहते हैं, यह भी मायने रखता है कि अनुवाद के बाद उसका क्या अर्थ निकलता है।

रिफायनरी की क्रूड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा यहीं से रिफाइन होकर अलग-अलग यूनिट में भेजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कल सुबह 11 बजे दिल्ली से विशेष विमान से उत्तरलाई हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम था। इसके लिए आज सुबह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रिहर्सल भी हो गई थी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी दस्ते ने कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया था। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन और कार्यवाहक संभागीय आयुक्त आलोक रजंन भी पचपदरा पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दोपहर बाद पचपदरा पहुंचने वाले थे, लेकिन दोपहर में रिफाइनरी के मुख्य यूनिट में आग लगने पर मुख्य सचिव ने तमाम प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। उसके बाद एचपीसीएल के अधिकारियों से आग से संबंधित जानकारी लेने के बाद, मुख्य सचिव श्रीनिवासन ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को सारी स्थिति से अवगत कराया। इस पर समाचार लिखे जाने तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कल रिफाइनरी के लोकार्पण का कार्यक्रम स्थगित होने की खबर मिली है।

प.बंगाल से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, जिसे इस बार भी जारी रखा गया है।

जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार सीमा बंद रहने के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आम लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी कारण या अत्यावश्यक सरकारी कार्यों के लिए समन्वय के माध्यम से आवागमन की व्यवस्था की जाएगी।

'राष्ट्रीय सम्मान को प्राथमिकता देगा ईरान'

तेहरान, 20 अप्रैल। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि देश अमेरिका और इज़रायल के साथ जारी तनावपूर्ण हालात को सम्मान और समझदारी के साथ समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान मौजूदा परिस्थितियों को संतुलन और सूझबूझ के साथ संभालने की रणनीति अपना रहा है।

तेहरान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि किसी भी संभावित समाधान में राष्ट्रीय सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण हालात में जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर लिए गए फैसले ही देश को सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं।

'बोस को राष्ट्र पुत्र घोषित किया जाए'

नई दिल्ली, 20 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भारत को आजादी दिलाई थी। इसके साथ ही, याचिका में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषित करने और 21 अक्टूबर 1943 (आईएनए का स्थापना दिवस) और 23 जनवरी 1897 यानी उनकी जयंती को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का भी अनुरोध किया गया था। सीजेआई ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

अमेरिका-ईरान के बीच ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेजेश्कियन ने रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एक फोन बातचीत में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका की नाकाबंदी संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है।

राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को आशंका है कि ट्रंप "कूटनीति के साथ विश्वासघात करेंगे।"

ईरान, अमेरिका और इज़रायल दो सप्ताह के युद्धविराम की समाप्ति से केवल तीन दिन दूर हैं। ज्ञातव्य है कि वार्ता का पहला दौर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908